न्यायालय–अपर मुख्य सचिव–सह–रिविजन प्राधिकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–02/2024

मिथिलेश सिंह, पलामू बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

12.06.2025

यह रिविजनवाद मिथिलेश सिंह, पिता–स्व० अलख सिंह, ग्राम–कुशडीहा तेंदुआ, पो0–हल्का, थाना–हरिहरगंज, जिला–पलामू, झारखंड द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के अपीलीय न्यायालय में दायर वन अपीलवाद सं0–30/2023 में दिनांक–26.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि दिनांक–05.06.2022 को पूर्वाह्न 8:00 बजे वनपाल, महाराजगंज वन परिसर अपने अधीनस्थ वनरक्षी एवं सहयोगी वनकर्मियों के साथ कुटुम्बा थाना से प्राप्त जप्त ट्रैक्टर नं0–JH03G 9756 एवं उसके टेलर में लदा 25 पीस शीशम बोटा पर सुश्री ममता कुमारी, वनरक्षी द्वारा जुर्म प्रतिवेदन सं0–35, दिनांक–05.06.2022 समर्पित किया गया तथा ट्रैक्टर, टेलर एवं शीशम लकड़ी के साथ अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

अपराधी से ट्रैक्टर पर लदे शीशम बोटा के कागजात का मांग किया गया, परन्तु वह कोई भी कागजात नहीं दिखा सका। तदुपरांत इसे अवैध पाकर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–52 के तहत जप्त किया गया एवं जप्ती सूची घटना स्थल पर तैयार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त धनंजय शर्मा, पिता–कपिल देव शर्मा, ग्राम–फिरोजी, पो0–हल्का, थाना–हरिहरगंज, जिला–पलामू, झारखंड को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–64 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अपराधी से बयान लिया गया एवं सुरक्षा हेतु जेल हाजत में भेजा गया, जिसका वन मुकदमा सं0–30/2022 है।

दिनांक–15.06.2022 को वनपाल, महराजगंज द्वारा अपने अधीनस्थ वनरक्षियों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं आस–पास के

लोगों से पता लगाया गया तो पता चला कि ट्रैक्टर पर लदे शीशम का बोटा 25 पीस बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के झारखंड से लाया जा रहा था। इस प्रकार वनरक्षी द्वारा समर्पित अपराध प्रतिवेदन को सत्य पाया गया।

वनपाल, महराजगंज वन परिसर द्वारा समर्पित जप्ती सूची एवं जुर्म प्रतिवेदन के आधार पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद के अधिहरण न्यायालय में अधिहरण वाद संख्या– 21/2021; बिहार सरकार बनाम धनंजय शर्मा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद, वन प्रमंडल औरंगाबाद द्वारा वाद की सुनवाई पूरी करते हुए दिनांक–19.12.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश द्वारा जप्त ट्रैक्टर, टेलर एवं उस पर लदे 25 बोटा शीशम की लकड़ी को अवैध परिवहन में संलिप्त रहने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–52(3) में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में अधिहरित किया गया।

अधिहरण न्यायालय द्वारा दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्त्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के अपीलीय न्यायालय में वन अपील वाद संख्या–30/2023; मिथिलेश सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। इस अपील वाद में दिनांक–26.12.2023 को समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–26.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में दिनांक–20.02.2024 को रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजन वाद संख्या–02/2024; मिथिलेश सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

रिविजन न्यायालय द्वारा दिनांक–05.04.2024 को वाद की सुनवाई करते हुए वाद को अंगीकृत किया गया। प्रतिवादी (वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद) द्वारा Counter Written Statement उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रति रिविजनकर्त्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली सुनवाई तक इसका जवाब देने का निदेश दिया गया। दिनांक– 02.08.2024 की सुनवाई में रिविजनकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा समय की मांग की गयी। पुनः दिनांक–22.11.2024 की सुनवाई में रिविजनकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा 02 माह के समय की मांग की गयी।

अगली दो सुनवाई दिनांक–31.01.2025 एवं 21.02.2025 को रिविजनकर्त्ता के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। दिनांक–29.04.2025 को वाद की अंतिम सुनवाई की गयी। उक्त तिथि को दोनों पक्ष उपस्थित रहे।

रिविजनकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा अंचलाधिकारी, हरिहरगंज (पलामू) द्वारा दिनांक–07.01.2025 को निर्गत भूमि धारण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उनके द्वारा बताया गया कि शीशम की लकड़ी रिविजनकर्त्ता के निजी जमीन, अंचल– हरिहरगंज, मौजा– हल्का, खाता संख्या– 21, प्लॉट संख्या– 172, 182 का है, जिसे बेटी की शादी हेतु फर्नीचर बनाने के लिए महाराजगंज आरा मिल ले जाया जा रहा था।

प्रतिवादी की तरफ से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर वन प्रक्षेत्र द्वारा कहा गया कि लकड़ी के परिवहन से संबंधित कोई कागजात वाहन चालक धनंजय शर्मा द्वारा मौके पर नहीं दिखाया गया। इस कारण लकड़ी को अवैध पाकर वाहन ट्रैक्टर संख्या– JH-03G-9756 एवं उसपर लदे 25 बोटा शीशम की लकड़ी को जप्त किया गया।

दोनों पक्षों को सुनते हुए वाद की सुनवाई पूरी की गई तथा इसे आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया।

अधिहरण वाद संख्या– 21/2021; बिहार सरकार बनाम धनंजय शर्मा में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश, वन अपील वाद संख्या– 03/2023; मिथिलेश सिंह बनाम सरकार में जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–26.12.2023 में पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैः–

1. ट्रैक्टर संख्या– JH-03G-9756 एवं उसपर लदे 25 बोटा शीशम की लकड़ी को बिना वैध परिवहन अनुज्ञा पत्र के परिवहन किए जाने के कारण जप्त किया गया है।

2. प्रतिवादी (वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद) की ओर से दायर लिखित प्रतिउत्तर के साथ संलग्न मुखिया, ग्राम+पो0–कटैया, प्रखंड–हरिहरगंज, पलामू एवं वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या–01, ग्राम पंचायत–कटैया द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रमाण–पत्र वाहन जप्ती के बाद बनवाया गया है, क्योंकि इस प्रमाण–पत्र में ''ले जायेंगे'' के स्थान पर भूतकालिक शब्द ''ले जा रहे थे'' का प्रयोग किया गया है।

3. मिथिलेश सिंह द्वारा अधिहरण न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही दी गई है कि लकड़ी उनके निजी जमीन से काटकर आरा मिल ले जाया जा रहा था परंतु मुखिया एवं वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाण–पत्र वाहन चालक धनंजय शर्मा, पिता– कपिलदेव शर्मा के नाम से जारी किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

4. प्रस्तुत मामले में लकड़ी का अभिवहन एक राज्य (झारखंड) से दूसरे राज्य (बिहार) में किया जा रहा था। झारखंड राज्य की सीमा समाप्त होने के उपरांत बिहार राज्य में प्रवेश करने हेतु संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से अभिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–456, दिनांक–27.02.2009 एवं अधिसूचना संख्या–649, दिनांक–21.02.2017

द्वारा कुल 27 प्रजातियों की लकड़ियों को राज्य के अंदर परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र लिए जाने की बाध्यता से मुक्त किया गया है। इस सूची में शीशम के काष्ठ को शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त के आधार पर रिविजनकर्ता के द्वारा दायर रिविजन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधितों को सूचित करें।

ह0/–
12.06.2025
(हरजोत कौर बम्हरा)
अपर मुख्य सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
12.06.2025
(हरजोत कौर बम्हरा)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–02/2024........../प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–.......
प्रतिलिपि–मिथिलेश सिंह, पिता– स्व० अलख सिंह, ग्राम–कुशडीहा तेंदुआ, पो0–हल्का, थाना–हरिहरगंज, जिला–पलामू (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–02/2024........../प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–.......
प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद/वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–02/2024........../प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–.......
प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–02/2024 2968 /प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 13/6/25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.6.25

(श्याम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव